

11-5-18

पञ्जावली आज ऊँच कोर्ट फॉटो में पेश है।
प्रकरण से संबंधित वाड पत्र का निष्पक्ष होना
है। ज.प.का अन्वय निवेधाना की ठाक गरीसबके
का कोई अर्थित्व नहीं है। अतः ज.प.का अन्वय
निवेधाना ही कार्यवाही इसी स्तर पर रवाना
किया जाता है। पञ्जावली केसल अकार होकर
गभर से कर है तथा पञ्जावली दाखिल दफ्तर
है।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यपुरवादा (मुम्बई)